

होना अर्थात् उन्हें प्रवेश नहीं (राजनिर्दिष्ट) के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

- ✓ उक्त प्रवेश परामर्श द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीकरण आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठे भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला मुल्य, छात्रसंख्या मुल्य आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपर्युक्त बातव्याप उपलब्ध करने के साथ हीगिरा होकने के कारण से समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित/ संघटित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भजन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभाल में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारों होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के सहाय निर्दिष्टन दौमन यदि संस्था में भूमि, भजन, परीक्षासल, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए०आर्०सी०पी०ई०पी०सी०आई० परीक्षा के मासिकमुका उपलब्ध नहीं करा जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्तों का अनुपालन न होने जाने अथवा कर्तों का उत्तराधिकार होने जाने की स्थिति में निम्नमुक्त अनुसन्धानकर्तों की कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोन्खर)

सचिव

पृष्ठान्त- प्राथम/परिषद समाह्वय/5001/5500-4800

दिनांक: 02/01/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निर्देशक N.G.U.C.P, MOOPURAM, MERRUT



(सुनील कुमार सोन्खर)

सचिव

**कार्यालय,
जनित, प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद,
बल्लभ प्रदेस मन्डलाय।**

संख्या- जनित/परिषद सम्प्रदाय/2019/1132

अवकाश तिथि: 18-5-2019

:-आवृत्तिका प्रारंभ:-

अभिमत आचार्य मन्डलाय शिक्षा परिषद द्वारा अधिकांश वर्ष 2018-20 हेतु विद्यार्थी जनित मन्डलाय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, बल्लभ प्रदेस में सम्प्रदाय/सम्प्रदाय शिक्षण प्रदान किए जाने हेतु विचार 18-5-2019 को अध्यक्ष, प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, बल्लभ प्रदेस की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक कायम हुई। बैठक में वर्ष 2018-20 हेतु आवृत्तिका नई संस्थाओं को सम्प्रदाय/एनई में सम्प्रदानित संस्थाओं को सम्प्रदाय शिक्षण/प्राध्यापन/अर्थिक प्रवर्धन पुष्टि/एनई हेतु वर्ष 2018-20 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुषंग में सम्प्रदाय समिति की बैठक को एन-3 में विद्यार्थी इन फार्मों की प्राथमिकता सम्प्रदानित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा प्राप्त विचार-विचारों का निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

“एम्प्लॉयमेंट/एनई/एनई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विचारों को अनुक्रम में संलग्नक-2 में अधिकांश पूर्व में सम्प्रदाय विद्यार्थी फार्मों की संस्थाओं के संकेत में समिति द्वारा विचार-विचार किया गया और कार्यवाही में संलग्नक-2 में अधिकांश संस्थाओं को मात्र 2018-20 हेतु सम्प्रदाय विचार प्रदान किये जाने का निर्णय हुआ। सर्व को सूचित किया गया कि संस्थाओं को विद्यार्थी इन फार्मों की प्राथमिकता में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संतुष्टि मात्र 2018-20 हेतु संतुष्टि प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित आयोजित प्रारंभ होने के पूर्व पीसीसीआई अनुमोदन पर परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करने की प्रस्ताव दी की जायेगी।”

अतः निम्नवृत्त सम्प्रदानित करने को अधिकांश की निर्णय समिति एवं विचार-विचार द्वारा की गयी संतुष्टि तथा सम्प्रदाय समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत का प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद, 18-5-20 अवकाश द्वारा वर्ष 2018-20 हेतु विद्यार्थी फार्मों की अधिकांश प्राथमिकता एवं प्रवेश अधिकांश प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्प्रदाय प्रदान की जायेगी :-

क्र. सं.	संस्था संकेत	संस्था का नाम	संस्था का पता	एम्प्लॉयमेंट/एनई/एनई द्वारा वर्ष 2018-20 अनुमोदन प्रदान करने	परिषद द्वारा वर्ष 2018-20 अनुमोदन प्रदान करने
1	1001	एम्प्लॉयमेंट/एनई/एनई बल्लभ प्रदेस	विद्यार्थी इन फार्मों	10	10

सम्प्रदाय हेतु नई

- ✓ संस्था एम्प्लॉयमेंट/एनई/एनई द्वारा निर्णय की गयी नहीं का पूर्ण प्रदान करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा अंतर प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद द्वारा 18-5-20 तक प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद विद्यार्थी फार्मों द्वारा अंतर निर्णय प्रदान एवं अंतरों का अनुमोदन करने तथा अनुमोदन निर्णय समिति द्वारा निर्णय प्रदान किया जायेगा। एम्प्लॉयमेंट/एनई/एनई हेतु वर्ष 20-20-20/ - एनई, की अधिकांश फार्मों प्राथमिकता हेतु वर्ष- 2018-20/ - अधिकांश एवं एन-3 का की अधिकांश प्रदान करने अधिकांश फार्मों प्राथमिकता हेतु वर्ष- 2018-20/ - अधिकांश प्रदान की प्रस्ताव प्रदान/प्रदान में प्रदान किया जायेगा। एम्प्लॉयमेंट/एनई/एनई में प्रदान की प्रस्ताव में प्रदान-प्रदान का प्रस्ताव प्राप्त किये जाने वाले एम्प्लॉयमेंट प्रदान होने, और अनुमोदन फार्मों की प्रस्ताव प्रदान प्रदान होने। अधिकांश निर्णय समिति द्वारा की: वर्ष 2018-20 हेतु अधिकांश प्रदान का अनुमोदन प्रदान करने, तो अधिकांश अधिकांश को अनुमोदन प्रदान।

